Radico
SPIRIT OF EXCELLENCE

RKL/SX/2026-27/60

September 3, 2026

BSE Limited.
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532497

National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051
Symbol: RADICO

Subject: **Newspaper Advertisement – – Public Notice regarding Loss of Share Certificate(s)**

Ref: **Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations read with SEBI Master Circular No. HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated February 06, 2026, please find enclosed herewith copy of the newspaper advertisement published today i.e., September 3, 2026, in Hindustan, Moradabad Edition, regarding loss of share certificate(s) pertaining to shareholder(s) of the Company.

The copy of the newspaper publication is also being disseminated on Company's website at http://www.radicokhaitan.com/investor-relations/.

Kindly take the same on records.

Thanking You,
For **Radico Khaitan Limited**

Dinesh Kumar Gupta
Digitally signed by Dinesh Kumar Gupta
Date: 2026.09.03 13:44:51 +05'30'

Dinesh Kumar Gupta
Senior Vice President - Legal & Company Secretary

Email Id: investor@radico.co.in

Encl: as above

जौनपुर और बलिया में आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश

बारिश से हादसों में नौ लोगों की मौत, नदियां उफान पर

आफत की बारिश

लखनऊ, हिटी। प्रदेश में बीते तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान ने तबाही मचा दी है। प्रदेश भर में कच्चे मकान, दीवारें और जर्जर छज्जे गिरने से हुए अलग-अलग हादसों में कुल नौ लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण गंगा, यमुना, टोंस और मंदाकिनी जैसी नदियां खतरे और चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जौनपुर और बलिया में आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

बारिश ने यूपी में सीजन का कोटा लगभग पूरा कर दिया है। प्रदेश में 592.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है जो औसत 607.5 मिमी से महज -2 फीसदी ही कम है। बीते 24 घंटों के दौरान बांदा में दीवार गिरने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की जान चली गई। फतेहपुर के सुकेती गांव में कच्चा मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोई में दीवार गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। कन्नौज में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 12 वर्षीय मासूम की दबकर मौत हो गई। वाराणसी में लगातार बारिश के बीच कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मिर्जापुर में बारिश के कारण कच्चा मकान ढहने से दो वृद्ध महिलाओं ने दम तोड़ दिया।

चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालती एनडीआरएफ की टीम।

बाढ़ का खतरा बढ़ा

प्रयागराज में टोंस और मंदाकिनी नदियों के तेज प्रवाह से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज के कछारी इलाकों के सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं और 17 परिवारों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। बलिया, गाजीपुर, चंदौली व भदोही में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है।

चित्रकूट में हजारों प्रभावित

चित्रकूट। मंदाकिनी की प्रलयकारी बाढ़ ने धर्मनगरी चित्रकूट को 'जलनगरी' में तब्दील कर दिया है। पांच दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी ने हालात भयावह कर दिए हैं। रामघाट समेत अधिकांश गलियां और सड़कें जलमग्न हैं। करीब 400 दुकानें और 200 घर डूब गए हैं तथा लोगों को पलायन करना पड़ा है। 10 हजार से अधिक प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है।

सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली पर सवाल

अदालत से

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली पर नाखुशी जाहिर करते हुए प्रमुख सचिव विधि को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने नीतू अग्रवाल व अन्य की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के दौरान बलरामपुर सदर के उप निबंधक कार्यालय से जुड़े तथ्यों को समझने के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान जब प्रतिशपथ पत्र पेश किया गया, तो कोर्ट को बताया गया कि इसे उस मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तैयार किया था, जिनकी न तो इस न्यायालय में ड्यूटी है और न ही कभी मामले में उपस्थित हुए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अक्सर ऐसा देख गया है कि प्रतिशपथ पत्र किसी ऐसे वकील द्वारा तैयार किया जाता है जो कभी उस कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होता।

प्रमुख सचिव को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव व अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले आदेश नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

दिल्ली विवि की छात्रा पर एनएसए की कार्यवाही रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विवि की छात्रा एवं सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत निरुद्धि सहित पूरी कार्यवाही रद्द कर दी है। साथ ही अदालत ने उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम के वेतन से अदा किए जाने का निर्देश दिया है।

प्रदेश 30s

उरई में कचहरी के बाहर विवाद पर भिड़े पति-पत्नी

मारपीट से मचा हड़कंप। (वीडियो ग्रैब)

उरई। कालपी रोड स्थित कचहरी के बाहर सड़क पर बुधवार दोपहर पति-पत्नी के बीच सड़क पर विवाद हो गया। बीच सड़क पर हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि 'हिन्दुस्तान' ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दंपति किसी मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आए थे। कोर्ट गेट पर ही किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। वायरल वीडियो में दोनों एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं।

यूपी में 127 ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट बनेंगी

लखनऊ। यूपी में ट्रामा एवं इमरजेंसी सेवाओं का नेटवर्क तैयार करने की योजना है। प्रदेश में इस साल 127 नई ट्रामा यूनिट बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश ट्रामा एंड इमरजेंसी नेटवर्क (यूपीटेन) के प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में मौजूदा 46 ट्रामा एवं इमरजेंसी यूनिटों की संख्या बढ़ाकर अब 173 करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित योजना में 11 एल-1, 36 एल-2 और 126 एल-3 ट्रॉमा एवं इमरजेंसी यूनिट शामिल होंगी। एल-1 यूनिट बड़े और गंभीर मामलों के इलाज के लिए है।

REC Power Development
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(आरईसीपीडीसीएल)
रुचि की अभिव्यक्ति
आरईसीपीडीसीएल यूटिलिटी क्षेत्र में एआई/एमएल समाधानों को लागू करने के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकनकर्ता (TPE) को नियुक्त करने के लिए EoI (रुचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित करता है।
विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज़ www.recpdcl.in और www.recindia.com पर उपलब्ध है।

नगर निगम, मुरादाबाद
पत्रांक 862 /ज0क0/न0नि0मु0/2026-27 दिनांक- 02/9/2026
ई-टैण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण सूचना
जलकल विभाग, नगर निगम, मुरादाबाद में ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की जा रही है। उक्त निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigammoradabad.in और http://etender.up.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
महाप्रबन्धक (जल)
नगर निगम, मुरादाबाद

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
महेंद्रगढ़ (हरियाणा) - 123031
विज्ञापन सं: CUH/04/R/T/2026 दिनांक: 01.09.2026
विज्ञापन सं: CUH/05/R/T/2026 दिनांक: 01.09.2026
विज्ञापन सं: CUH/06/R/T/2026 दिनांक: 01.09.2026
रोजगार सूचना
विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में **सह आचार्य एवं सहायक आचार्य** के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों सहित भारत के प्रवासी नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदनपत्र, विस्तृत विज्ञापन और अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में शुद्धिपत्र, परिशिष्ट आदि केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2026 तक है।
कुलसचिव

छह आईएएस के खिलाफ आरोपपत्र

नई दिल्ली। सीबीआई ने बुधवार को 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनमें हरियाणा कैडर के छह आईएएस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तीन और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अधिकारी शामिल है। इन पर राज्य के विभिन्न विभागों के 504 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है।

नजूल संपत्तियों का नए सिरे से किया जाएगा सर्वे

तैयारी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में नजूल संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। अगले महीने विधान परिषद की प्रवर समिति की बैठक में इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। कितनी नजूल की संपत्तियां हैं, कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं, कितनी नजूल संपत्ति फ्री होल्ड हो चुकी है और कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रवर समिति की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए कि नजूल संपत्तियों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए और कहीं किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ी न हो। जिससे उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक 2024 को विधान परिषद से भी पारित कराया जा सके।

जिलावार तथ्यात्मक आंकड़ा रखा जाएगा

प्रवर समिति की अगली बैठक में नजूल संपत्तियों की जिलेवार व तथ्यात्मक रिपोर्ट रखी जाएगी। जिससे आगे व्यापक नीति तैयार की जा सके। वहीं सदस्यों की ओर से संशोधन के किए गए सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

बिल्डर को ब्रोशर में किए वादे पूरे करने होंगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनियों से साफ कहा है कि परियोजनाओं के ब्रोशर में किए गए वादे सिर्फ प्रचार या मार्केटिंग नहीं होते, बल्कि बिल्डर को उसी के अनुसार प्रोजेक्ट बनाकर खरीदारों को देना होगा। शीर्ष अदालत ने यह बात गुरुग्राम में डीएलएफ होम डेवलपर्स की आवासीय योजना 'द प्राइमस' में हो रहे बदलावों पर कही।

सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान)
बरवा रोड, धनबाद (झारखण्ड)
सूचना
विषय : विज्ञापन संख्या CIMFR-02/2026 के अंतर्गत तकनीशियन के पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों द्वारा फोटोग्राफ एवं आवश्यक दस्तावेजों को पुनः अपलोड किए जाने के संबंध में।
जिन अभ्यर्थियों ने **तकनीशियन** पद हेतु पूर्व में आवेदन किया था, वे अपने पूर्व के **लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर अपना फोटोग्राफ एवं आवश्यक दस्तावेज पुनः अपलोड करें।** अंतिम तिथि: **15.09.2026 को सायं 05:00 बजे तक।** पुनः अपलोड लिंक: **https://devapps.ngri.res.in/CIMFR_group2_2026_v1/index.jsp** . विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट देखें : **www.cimfr.res.in** . यह सुविधा केवल विज्ञापन संख्या **CIMFR-02/2026** के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए है। ह/-
अनुभाग अधिकारी

Radico
SPIRIT OF EXCELLENCE
रेडिको खेतान लिमिटेड
CIN : L26941UP1983PLC027278
पंजी. कार्यालय : रामपुर डिस्टिलरी, बरेली रोड, रामपुर – 244 901 (उ. प्र.)
Tel. No. : 0595-2350601/2, 2350009
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. जे-1, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110 044, Tel. No. : 011-40975444/555
E-mail : investor@radico.co.in Website : www.radicokhaitan.com
शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सूचना
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि रेडिको खेतान लिमिटेड ("कंपनी") के अधोलिखित इक्विटी शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के गुम होने/खोने/अप्राप्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। कंपनी को उक्त इक्विटी शेयरों के पंजीकृत धारक(कों)/दावेदार(रों) से डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने की प्रक्रिया हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

क्र. सं.	धारक(कों) का नाम	फोलियो नं.	ईक्विटी शेयरों की सं. (अंकित मूल्य रू. 2/- प्रत्येक)	प्रमाणपत्र संख्या	डिस्टिंकटिव संख्या
1.	विवेक गौड़	0014713	620	55440	2024256-2024875
2.	आर एन जालान संयुक्त रूप से दर्शना जालान के साथ	0016840	310	56222	2652036-2652345

उक्त शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने दावे/आपत्ति को आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित लिखित रूप से कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, यूनिट : रेडिको खेतान लिमिटेड, सेलिनिमम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, तेलंगाना के पते पर जमा कर सकते हैं।
यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर कोई वैध दावा/आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो कंपनी/आरटीए (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट) पंजीकृत धारक(धारकों)/दावेदार(दावेदारों) के डुप्लिकेट प्रतिभूतियां जारी करने के अनुरोध पर, अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा समय-समय पर संशोधित लागू सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। ऐसी प्रक्रिया पूर्ण होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त (रद्द) माने जाएंगे, और मूल शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में उसके बाद प्राप्त किसी भी दावे के लिए कंपनी/आरटीए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस सूचना के प्रकाशन से पंजीकृत धारक(धारकों)/दावेदार(दावेदारों) को दावा किए गए शेयरों के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
कृते रेडिको खेतान लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.09.2026
दिनेश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ वीपी – लीगल एवं कम्पनी सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत करनपुर विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा
पत्रांक : मीमो/ग्रा0प0 सामग्री आपूर्ति, विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक- 02.09.2026
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना
समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेतओ को एतद्द्वार सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करनपुर विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार पंचम राज्य वित,15 वां वित्त, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 03.09.2026 से 10.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री के आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई य बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल कर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूले के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। समाग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि मे से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरपूट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोढी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलॉक टाईल्स 80 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलॉक टाईल्स 60 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के आफिस इक्यूपमेंट/पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्यूपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिटटी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकडी के दरवाजे/कार्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सौलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेट्री सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फॉगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डैस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम,हाईक्लोराईड,बीलिगं पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दावए	प्रति किलो0/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकडी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वॉल पुटटी,पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्पम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फूट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिगं वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फूट	
40	इंसीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारत घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलैक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिडकी	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैक	प्रति नग	
46	पत्थर रोढी 40 एम0एम0	प्रति घन मी0	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी0	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी0 घन मी0/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्ताकलय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाईट		
54	डस्तबीन		
55	ग्राम पंचायत परिचय बोर्ड		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। 02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।
प्रशासक, ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा
सचिव, ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कनपुरा विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा
पत्रांक : मीमो/ग्रा0प0 सामग्री आपूर्ति, विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक- 02.09.2026
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना
समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेतओ को एतद्द्वार सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कनपुरा विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार पंचम राज्य वित,15 वां वित्त, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 03.09.2026 से 10.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री के आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल कर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूले के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। समाग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि मे से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरपूट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोढी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलॉक टाईल्स 80 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलॉक टाईल्स 60 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के आफिस इक्यूपमेंट/पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्यूपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिटटी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकडी के दरवाजे/कार्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सौलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेट्री सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फॉगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डैस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम,हाईक्लोराईड,बीलिगं पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दावए	प्रति किलो0/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकडी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वॉल पुटटी,पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्पम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फूट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिगं वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फूट	
40	इंसीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारत घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलैक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिडकी	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैक	प्रति नग	
46	पत्थर रोढी 40 एम0एम0	प्रति घन मी0	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी0	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी0 घन मी0/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्ताकलय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाईट		
54	डस्तबीन		
55	ग्राम पंचायत परिचय बोर्ड		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। 02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।
प्रशासक, ग्राम पंचायत कनपुरा, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा
सचिव, ग्राम पंचायत कनपुरा, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत रघुनाथपुर विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा
पत्रांक : नीमो/ग्रा0प0 सामग्री आपूर्ति, विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांक- 02.09.2026
अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना
समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेतओ को एतद्द्वार सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रघुनाथपुर विकास खण्ड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार पंचम राज्य वित,15 वां वित्त, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 03.09.2026 से 10.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 11.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री के आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल कर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूले के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। समाग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि मे से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरपूट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोढी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालदार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलॉक टाईल्स 80 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलॉक टाईल्स 60 एन0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के आफिस इक्यूपमेंट/पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्यूपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिटटी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकडी के दरवाजे/कार्मशियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सौलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेट्री सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फॉगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डैस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम,हाईक्लोराईड,बीलिगं पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दावए	प्रति किलो0/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकडी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वॉल पुटटी,पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्पम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फूट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिगं वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फूट	
40	इंसीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारत घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलैक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिडकी	प्रति नग	
45	वाटर स्टोरेज टैक	प्रति नग	
46	पत्थर रोढी 40 एम0एम0	प्रति घन मी0	
47	अन्य सामग्री	प्रति घन मी0	
48	कम्पलीट कार्य	वर्ग मी0 घन मी0/नग	
49	अतिरिक्त कक्ष केन्द्र (CSC)		
50	अन्त्येष्टि स्थल		
51	पुस्ताकलय		
52	सीमेंट बेंच		
53	लाईट		
54	डस्तबीन		
55	ग्राम पंचायत परिचय बोर्ड		

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। 02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।
प्रशासक, ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा
सचिव, ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, विकास खण्ड जोया, जनपद अमरोहा